पत्रांक–03 / स्था0पदस्थापन(भू0सु0उ0स0)–03 / 2021– 20 (3)/रा०

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

सी. के. अनिल,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 07/01/2026

विषय :– **जिलों में रिक्त जिला–भू–अर्जन पदाधिकारी (DLAO) एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (DCLR) को वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत कार्यकारी प्रभार समाहर्त्ता द्वारा ही निर्गत करने के संबंध में।**

प्रसंग :– **राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–89(3), दिनांक–21.02.2022।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाहर्त्ता को बिहार भूमि अर्जन, पूनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 में वृहद शक्तियाँ प्रदत्त हैं। उसी प्रकार जिला में राजस्व न्यायालयों में समाहर्त्ता का शीर्ष स्थान है एवं उन्ही के अधीक्षण एवं नियंत्रण से निम्न राजस्व न्यायालय का संचालन होता है।

उपर्युक्त के आलोक में जिला स्तर पर जिला भू–अर्जन पदाधिकारी (DLAO) एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (DCLR) के पदों के रिक्ति से राजस्व प्रशासन के कार्यों में ह्रास होता है एवं जन कल्याण कार्यक्रमों पर कूप्रभाव पड़ता है।

अतः उक्त प्रशासनिक समस्या के समाधान हेतु निम्नलिखित वैकल्पिक व्यवस्था समाहर्त्ता अपने शक्तियों के अधीन कर सकेंगे :–

(क) **भू–अर्जन पदाधिकारी (DLAO) का पद रिक्त होते ही जिला में पदस्थापित वरीय उप समाहर्त्ता (राजस्व शाखा) को तुरन्त प्रभार देंगे।**

(ख) **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता (DCLR) का पद रिक्त होते ही संबंधित अनुमण्डलाधिकारी को तुरन्त प्रभार देंगे।**

(ग) **समाहर्त्ता के प्रभार के आदेश में प्रभार लेने वाले पदाधिकारियों को स्वतः पदेन न्यायालय की शक्तियाँ प्रदत्त समझी जाऐगी।**

उपर्युक्त प्रशासनिक शक्तियाँ समाहर्त्ता पद में पदेन (ex-officio) निहित है।

2. उपर्युक्त इंगित पदाधिकारियों के अतिरिक्त यदि समाहर्त्ता किसी अन्य पदाधिकारी को (जैसे एक DCLR को दूसरे DCLR का प्रभार, इत्यादि) प्रभार देने पर विभागीय अधिसूचना आवश्यक होगी।

विश्वासभाजन,
07/01/2026

(सी. के. अनिल),
प्रधान सचिव।